ए.

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड v.

मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड (2009 की सिविल अपील संख्या 2104) 25 मार्च, 2022

बी.

[एल**.** नागेश्वर राव और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा**,** जे**.** जे**.]**

अपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी ीअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी भअपीलार्थी ूअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी मअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ोअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी डअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी 2 अपीलार्थी -अपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 1 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 1 अपीलार्थी बअपीलार्थी ीअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी ,अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी टअपीलार्थी ीअपीलार्थी -अपीलार्थी एअपीलार्थी सअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी ईअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ीअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी ईअपीलार्थी .अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी भअपीलार्थी ूअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी बअपीलार्थी ंअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी धअपीलार्थी ोअपीलार्थी खअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी डअपीलार्थी ्अपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी नअपीलार्थी ुअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअर्पीलार्थी ाअपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी थअपीलार्थी ाअपीलार्थी ओअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी षअपीलार्थी ेअपीलार्थी

धअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 0 अपीलार्थी 0 अपीलार्थी 3 अपीलार्थी -अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी 3 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी एअपीलार्थी)अपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी बअपीलार्थी ीअपीलार्थी)अपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी सअपीलार्थी ीअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी डअपीलार्थी ीअपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी 4 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 1 अपीलार्थी)अपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 4 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 2 अपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी 4 अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी 2 अपीलार्थी)अपीलार्थी अपीलार्थी (अपीलार्थी आअपीलार्थी रअपीलार्थी)अपीलार्थी -अपीलार्थी सअपीलार्थी ूअपीलार्थी चअपीलार्थी ीअपीलार्थी बअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी धअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ंअपीलार्थी पअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी -अपीलार्थी लअपीलार्थी ाअपीलार्थी भअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ृअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी -अपीलार्थी तअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी लअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ूअपीलार्थी चअपीलार्थी ीअपीलार्थी बअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी धअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी ीअपीलार्थी -अपीलार्थी कअपीलार्थी ंअपीलार्थी पअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ेअपीलार्थी डअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी टअपीलार्थी ैअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी सअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी वअपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी गअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ुअपीलार्थी ईअपीलार्थी अपीलार्थी थअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी थअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी यअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी अपास्त करना ोअपीलार्थी टअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ैअपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी -अपीलार्थी कअपीलार्थी ंअपीलार्थी पअपीलार्थी नअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी

ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी सअपीलार्थी ्अपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ूअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी 4 अपीलार्थी .अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ुअपीलार्थी पअपीलार्थी यअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ढअपीलार्थी ंअपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी डअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ुअपीलार्थी पअपीलार्थी यअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी सअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी रअपीलार्थी ूअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी यअपीलार्थी रअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी सअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी सअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ृअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ुअपीलार्थी ईअपीलार्थी ।अपीलार्थी तत्काल अपील में मुद्दा और न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी तथ्यात्मक प्रकृति के थे और इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले कानून के किसी भी सवाल को जन्म नहीं दिया।15 अधिनियम का जेड-अब तक अवलोकन ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

546

547

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए

न्यायाधिकरण की जिरह के संबंध में, न्यायाधिकरण के लिए एक अलंघनीय सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि सभी मामलों में जिरह का अधिकार है और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के लिए इस तरह के निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं थी-उस हद तक न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को अपास्त करना दिया जाता है जबकि अन्य सभी आधारों पर निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

बी.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 जेड-उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र-न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तभी करेगा जब न्यायाधिकरण के निर्णय से विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न तब उत्पन्न हो सकता है जब कानून के कानूनी प्रावधानों या कानून के सामान्य सिद्धांतों का गलत निर्माण हो-कानून की हर व्याख्या धारा 15 जेड के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देने वाले कानून के प्रश्न के बराबर नहीं होगी-न्यायाधिकरण धारा 15 टी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अधिनियम, नियमों और विनियमों की भी व्याख्या करता है और व्यवस्थित रूप से एक कानूनी व्यवस्था विकसित करता है-ये सिद्धांत क्षेत्रीय कानूनों के संरचनात्मक विकास के लिए लगातार लागू किए जाते हैं-कानूनों को विकसित करने और व्याख्या करने की यह स्वतंत्रता न्यायाधिकरण से संबंधित होनी चाहिए।

सी.

डी.

ई.

शब्द और वाक्यांश-'कानून का प्रश्न' जैसे वाक्यांश, खुली पाठ्य अभिव्यक्तियाँ हैं, जिनका उपयोग कानूनों में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे विधायिका का पांडित्यपूर्ण तरीके से पढ़ने का इरादा नहीं होता-जब अनुभागों के शब्द संकीर्ण और व्यापक व्याख्याओं की अनुमति देते हैं, तो अदालतों ने शब्दों को उनके संदर्भ में देखकर सही अर्थ खोजने की कला और तकनीक विकसित की है-कानूनों की व्याख्या।

एफ.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** 'कानून का प्रश्न' जैसे वाक्यांश, खुली पाठ्य अभिव्यक्तियाँ हैं, जिनका उपयोग क़ानूनों में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे विधायिका का पांडित्यपूर्ण तरीके से पढ़ने का इरादा नहीं होता।जब अनुभागों के शब्द संकीर्ण और साथ ही व्यापक व्याख्याओं की अनुमति देते हैं, तो अदालतों ने उन्हें देखकर सही अर्थ खोजने की कला और तकनीक विकसित की है।

जी.

एच.

548 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

उनके संदर्भ में शब्द।इसलिए न्यायाधिकरण के आदेशों से उत्पन्न कानून के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए धारा **15** जेड के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को अधिनियम की धारा **15** के**, 15** एल**, 15** एम**, 15** टी**, 15** यू और **15** वाई के तहत न्यायाधिकरण की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के 'संदर्भ' में देखा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा **15** टी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलीय स्तर पर तथ्य के सभी प्रश्नों की फिर से जांच करना न्यायाधिकरण का कार्य है। उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा **15** जेड के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय न्यायाधिकरण के फैसले से किसी भी अपील पर विचार करते समय अपने दृष्टिकोण में मापा जाएगा।कानूनों को विकसित करने और उनकी व्याख्या करने की यह स्वतंत्रता स्पष्टता और निरंतरता के लिए नियामक व्यवस्था को कम करने के लिए न्यायाधिकरणों की होनी चाहिए और इसी दृष्टिकोण के साथ सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों पर न्यायाधिकरणों के फैसले के खिलाफ अपीलों पर विचार करेगा।**[**पारस **16,17,18] [558-**डी**-**ई**; 559-**सी**-**डी**,** एफ**-**जी**]**

बी.

सी.

भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य। (1987) 1 एससीसी 424:

डी.

[1987] 2 एस**.** सी**.** आर**. 1-**पर निर्भर।

2. उच्चतम न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग तभी करेगा जब न्यायाधिकरण के निर्णय से विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न हो।कानून का प्रश्न तब उत्पन्न हो सकता है जब क़ानून के कानूनी प्रावधानों या कानून के सामान्य सिद्धांतों का गलत निर्माण होता है।ऐसे मामलों में**,** उच्चतम न्यायालय धारा **15** जेड की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कानून के किसी भी प्रश्न पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसे वह उचित समझता है। हालांकि**,** कानून की हर व्याख्या धारा **15** जेड के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देने वाले कानून के सवाल के बराबर नहीं होगी। न्यायाधिकरण धारा **15** टी के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए**,** तथ्य पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के अलावा**,** इसके तहत बनाए गए अधिनियम**,** नियमों और विनियमों की व्याख्या भी करता है और व्यवस्थित रूप से एक कानूनी व्यवस्था विकसित करता है।क्षेत्रीय कानूनों के संरचनात्मक विकास के लिए इन सिद्धांतों को लगातार लागू किया जाता है।कानूनों को विकसित करने और उनकी व्याख्या करने की यह स्वतंत्रता न्यायाधिकरण की होनी चाहिए ताकि स्पष्टता और

निरंतरता के लिए नियामक व्यवस्था को कम किया जा सके।ये नीतिगत और कार्यात्मक विचार हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय धारा **15** जेड के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय ध्यान में रखेगा। **[**पैरा **20.1,20.2] [560-**डी**-**जी**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

549

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ए

3. इस आरोप से संबंधित प्रस्तुति कि निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लुभाने के लिए बढ़े हुए लाभ दिखाने के लिए वर्ष **2004-05** के लिए खातों में हेरफेर किया गया है। **SEBI** ने उस योजना का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया है जिसके द्वारा कंपनी के शेयरों को बाजार में खरीदा और बेचा गया था।यह आरोप लगाया गया था कि कुछ संस्थाओं द्वारा भौतिक रूप में **2** करोड़ से अधिक शेयर 'ऑफ**-**मार्केट' सौदों में खरीदे गए थे और फिर उन शेयरों को बाद के 'ऑफ**-**मार्केट' सौदों में कंपनी से जुड़ी कुछ अन्य बाहरी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था।इन आरोपों के कारण इस तरह के 'बाजार से बाहर' लेनदेन और कंपनी के साथ 'बाहरी अधिकारों' के जुड़ाव के प्रमाण की आवश्यकता थी। न्यायाधिकरण अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और बोर्ड द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपर्याप्त थे।उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्राप्त न्यायाधिकरण के निष्कर्षों पर आधारित हैं। न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिनियम की धारा **15** जेड के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देते हैं। **[**पैरा **27,28,29] [562-**एफ**-**एच**; 563-**डी**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

के**.** एल**.** त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। **(1984) 1**

एससीसी **43:[1984] 1** एस**.** सी**.** आर**. 184;** तारा चंद व्यास बनाम**.**

अध्यक्ष और अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अन्य। **(1997) 4**

एससीसी **565:[1997] 2** एस**.** सी**.** आर**. 472;** भारतीय स्टेट बैंक बनाम

ई.

जाह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस। **(2019) 6** एससीसी **787:[2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 701;** मेसर्स विजय टेक्सटाइल बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(2011)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** ए**.** टी**. 50;** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम राखी

ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (2018) 13 एस. सी. सी. 753:[2018] 1

एस**.** सी**.** आर**. 937;** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम**.**

एफ.

किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एससीसी 368:[2016] 1 एससीआर

1118 ; मींगलास टी एस्टेट बनाम कामगार **[1964] 2** एस**.** सी**.** आर**. 165;** बरेली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम कामगार और

ओआरएस। (1971) 2 एससीसी 617:[1972] 1 एससीआर 241; स्वदेशी

कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ **(1981) 1** एस**.** सी**.** सी**. 664:[1981] 2** एस**.** सी**.** आर**. 533;** वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम**.**भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड **(2015) 4** एस**.** सी**.** सी**. 33:[2015] 3** एससीआर **1;** क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एन**.** आर**.** बनाम**.**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(2004) 8** एससीसी

जी.

524 :[2004] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 843;** राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ

एच.

डिपॉजिटरी लिमिटेड बनामभारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड

(2017) 5 एससीसी **517:[2017] 4** एससीआर **901;** अलीगढ़ मुस्लिम

विश्वविद्यालय बनाम मानसून अली खान **(2000) 7** एस**.** सी**.** सी**. 529:[2000] 2** पूरक।एससीआर **684;** ए**.** एस**.** मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड

बनाम भारत संघ (2013) 10 एस. सी. सी. 114:[2013] 4 एससीआर

409 ; टी**.** ताकानो बनाम प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

बी.

भारत (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 210-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1984] 1 एससीआर **184**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.2**

[1997] 2 एससीआर **472**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.2**

सी.

[2019] 7 एससीआर **701**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7.2**

[2018] 1 एससीआर **937**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.4**

[2016] 1 एससीआर **1118**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.4**

[1964] 2 एससीआर **165**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.8**

डी.

[1972] 1 एससीआर **241**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.8**

[1981] 2 एससीआर **533**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8.8**

[2015] 3 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **12**

[1987] 2 एससीआर **1**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **16 [2004] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 843** पैरा **17 [2017] 4** एस**.** सी**.** आर**. 901** पैरा **18 [2000] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 684** पैरा **32 [2013] 4** एस**.** सी**.** आर**. 409** पैरा **34** को संदर्भित

ई.

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2009 की सिविल अपील सं. 2104।

2008 के अपील No.60 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के दिनांकित 15.10.2008 के निर्णय और आदेश से।

चंदर उदय सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रताप वेणुगोपाल, सुश्री सुरेखा रमन, अखिल अब्राहम रॉय, विजय वल्सल, अमजिद मकबूल, मेसर्स के. जे. जॉन एंड कंपनी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

वैभव गग्गर, ए. वी. रंगम, बडी ए. रंगानाधन, प्रेरक खुराना, केतन सर्राफ, उत्कर्ष तिवारी, सुश्री सुमेधा डांग, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

551

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे।

1. यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 1 की धारा 15 जेड के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण 2 के अंतिम आदेश के खिलाफ एक वैधानिक अपील है, जिसके द्वारा न्यायाधिकरण ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 3 द्वारा पारित आदेश को एक वर्ष के लिए अपास्त करना-कंपनी को पूंजी बाजार तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया है और प्रवर्तक निदेशकों को भारत के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या अन्यथा लेनदेन करने से रोक दिया है।अपील को खारिज करते हुए, हमने समझाया है कि धारा 15 जेड के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कानून के प्रश्न तक ही सीमित है।

बी.

सी.

2. मैसर्स मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो 1996 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, 2004 तक छोटे पैमाने पर शेयरों के व्यापार के साथ रेडियो टैक्सी सेवा के व्यवसाय में लगी हुई है। शेयर बाजार नियामक, एस. ई. बी. आई. का ध्यान जनवरी 2005 से सितंबर 2005 के बीच कंपनी के शेयरों की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव की ओर आकर्षित किया गया था।कंपनी के शेयरों का कारोबार रुपये के बीच हुआ। 25/- से रु। 43.85-।इस वृद्धि के परिणामस्वरूप शेयरों की औसत मासिक मात्रा बढ़कर 1,56,22,583 शेयरों तक पहुंच गई।इस गतिविधि को देखने के बाद, एस. ई. बी. आई. ने अधिनियम की धारा 11 बी, 11 (4) (बी) और 11 (डी) के तहत 56 संस्थाओं के खिलाफ एक एकतरफा अंतरिम आदेश पारित करते हुए जांच का निर्देश दिया, जिसमें कंपनी, इसके प्रवर्तक-निदेशक, इसके कुछ ग्राहक, शेयर दलाल और जमाकर्ता शामिल हैं।आपत्तियों को सुनने के बाद, अंतरिम आदेशों की पुष्टि की गई, और एस. ई. बी. आई. (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) विनियम, 2003 4 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी) और (डी) और 4 (1), 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) के उल्लंघन के लिए कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया।

डी.

ई.

एफ.

3. कारण बताओ नोटिस निम्नलिखित पर जांच के बाद प्राप्त जानकारी पर आधारित थाः

3.1 कंपनी ने अघोषित व्यवसाय और शेयरों की बिक्री से भारी लाभ कमाया और आय के स्रोत के बारे में अनिश्चितता है।यह ज्ञात नहीं है कि क्या कंपनी ने अपने ज्ञापन और अनुच्छेदों में संशोधन किया था

जी.

1 इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2 इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

3 इसके बाद 'सेबी' या 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया जाता है।4 इसके बाद इसे 'पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम' कहा जाता है।

ए.

व्यापार की गतिविधि।मुनाफे में वृद्धि असामान्य है, और इसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं है।यह पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 का उल्लंघन है।

3.2 अप्रैल 2005 से सितंबर 2005 के बीच, कंपनी और अन्य नोटिसियों ने कंपनी में निवेश करने के लिए जनता को लुभाने के लिए विज्ञापनों और अन्य अधिसूचनाओं के रूप में सार्वजनिक बयान जारी किए।यह गतिविधि एक कृत्रिम मांग पैदा करने के लिए की गई थी, यह जानते हुए कि यह मामले की सच्चाई नहीं है।यह पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) का उल्लंघन है।

बी.

3.3 कंपनी ने ऑर्केस्ट्रेटेड सौदों के माध्यम से शेयर बेचकर अपने मुनाफे में हेरफेर किया जो जांच में पाए गए थे।हेरफेर के कारण कंपनी के धोखाधड़ी के इरादे को कम करने के लिए एक अभूतपूर्व हद तक स्क्रिप की कृत्रिम वृद्धि हुई, और यह फिर से पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियमन 3 का उल्लंघन है।

सी.

डी.

4. कंपनी और अन्य नोटिसों ने अपना जवाब दाखिल किया।सभी पक्षों को सुनने के बाद, एस. ई. बी. आई. ने अंतिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि कंपनी ने अधिनियम और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।अधिनियम की धारा 19 और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों सहपठित धारा 11 और 11 बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एस. ई. बी. आई. ने कंपनी को किसी भी तरह से पूंजी बाजार तक पहुंचने और उसके निदेशकों को एक वर्ष के लिए प्रतिभूतियों में लेनदेन करने से रोक दिया।आदेश का परिचालन भाग इस प्रकार हैः

ई.

“ 4.1 इसलिए अब, मैं पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम 2003 के साथ आगे पढ़े जाने वाले एस. ई. बी. आई. अधिनियम, 1992 की धारा 19 सहपठित धारा 11 और 11 बी के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेगा कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पैन-ए. ए. सी.-सी. एम.-9506-ई) को एक वर्ष (1 वर्ष) की अवधि के लिए किसी भी तरह से पूंजी बाजार तक पहुंचने से रोकता हूं और श्री कुणाल लालानी (पैन-ए. ए. जी.-ओ. पी. एल.-0992-सी), श्री हिमांशु मेहता (पैन-ए. ए. एल.-पी. एम.-5750-एफ) और श्री सुरेंद्र छल्लानी (पैन-ए. सी. आई.-पी. सी. 2863-के) कंपनी के निदेशकों को किसी भी तरह से प्रतिभूतियों में खरीद, बिक्री या अन्यथा लेनदेन करने से रोकता है।”

एफ.

जी.

5. कंपनी ने अधिनियम की धारा 15 टी के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष 2008 की अपील संख्या 60 के तहत अपील दायर की।न्यायाधिकरण ने पुनः ए

एच.

553

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा

निगम लिमिटेड [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

उन तीन परिस्थितियों की जांच की जो एस. ई. बी. आई. के निर्णय का आधार बनीं और अंत में अपने दिनांक 15.10.2008 के फैसले द्वारा अपील की अनुमति दी।न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया किः

5.1 वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया असामान्य लाभ, यदि कोई हो, अपने आप में कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है।बोर्ड में निहित शक्तियां केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि निवेशक धोखाधड़ी और प्रलोभन के आधार पर निवेश करने में गुमराह न हों और जब कंपनी सकारात्मक वार्षिक रिपोर्ट के साथ आती है तो निवेशकों के आकर्षित होने के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं है।न्यायाधिकरण ने कहा कि असाधारण लाभ अपने आप में इस निष्कर्ष का आधार नहीं हो सकता है कि निवेशकों को गुमराह करने के लिए कंपनी के खातों में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ हेरफेर किया जाता है।

बी.

सी.

5.2 विज्ञापनों और दिनांक 1 और 2 की अधिसूचनाओं के रूप में सार्वजनिक बयानों के मुद्दे पर, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि 'मेगा फॉरेक्स ब्रांड' के शुभारंभ के साथ विदेशी मुद्रा

के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए जारी किए गए विज्ञापनों और जेम्स टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते के आधार पर पर्यटन सेवाओं से संबंधित घोषणा में कुछ भी गलत नहीं है।न्यायाधिकरण ने पाया कि ये घोषणाएं सामान्य प्रक्रिया में थीं और इस आशय के पर्याप्त सबूत थे।तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद न्यायाधिकरण ने एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों को उलट दिया।

डी.

ई.

5.3 अंत में, न्यायाधिकरण ने हेरफेर से संबंधित आरोप की भी जांच की।इसने एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों पर विचार किया कि लेन-देन उन संस्थाओं के माध्यम से किए गए थे जिनके कंपनी के साथ संबंध थे।पुनर्मूल्यांकन पर न्यायाधिकरण ने पाया कि कथित संबंध स्थापित नहीं किए गए थे और बोर्ड ने अनावश्यक रूप से कुछ गतिविधियों को पढ़ा था, एक ऐसा अर्थ जिसका घटनाओं के सामान्य क्रम में अनुमान नहीं लगाया जा सकता था।यह इस संदर्भ में है कि न्यायाधिकरण ने कंपनी की ओर से की गई इस दलील को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया कि बोर्ड प्रतिपरीक्षा का अवसर दिए बिना स्टॉक ब्रोकर के पत्र पर भरोसा नहीं कर सकता था जो उसके द्वारा लिए गए रुख का खंडन करता था।चूंकि ऐसा अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए न्यायाधिकरण ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

एफ.

जी.

एच.

6. अधिनियम की धारा 15 जेड के तहत वर्तमान अपील न्यायाधिकरण के इस फैसले के खिलाफ है।हमने श्री सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, को एस. ई. बी. आई. की ओर से श्री प्रताप वेणुगोपाल और कंपनी की ओर से श्री वैभव गग्गर की सहायता लेते हुए सुना।

7. बोर्ड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. यू. सिंह ने कहा किः

बी.

7.1 न्यायाधिकरण ने प्रत्येक घटना को एक स्वतंत्र घटना के रूप में लेते हुए असंतुष्ट तरीके से एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेश की जांच की और अपना निष्कर्ष दिया जैसे कि वे अलग-

अलग घटनाएँ हों।स्वतंत्र प्रकरण के रूप में घटनाओं की जांच करने के अपने दृष्टिकोण में, न्यायाधिकरण ने गलत निष्कर्ष पर पहुंचने में खुद को गुमराह किया।श्री सिंह ने हमें एस. ई. बी. आई. द्वारा पारित आदेशों और न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय के बारे में बताया और कहा कि एस. ई. बी. आई. के निष्कर्ष सही हैं और न्यायाधिकरण अपने प्रत्येक निष्कर्ष में गलत है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हेरफेर को दर्शाने वाली घटनाओं की सही पहचान की गई है, और वे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित हैं और इसलिए, न्यायाधिकरण हेरफेर के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।

सी.

डी.

7.2 जिरह के अधिकार के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तरह का दृष्टिकोण वस्तुतः एस. ई. बी. आई. को अपने कार्यों को करने से अक्षम कर देगा।रिलायंस को इसके निर्णयों पर रखा गया था

ई.

के. एल. त्रिपाठी 5, तारा चंद व्यास 6 और जाह डेवलपर्स 7 में न्यायालय।

8. श्री वैभव गग्गर ने अपने उत्तर में कहा किः

एफ.

8.1 अपील को खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि मामले में कानून का कोई सवाल ही नहीं है।

8.2 कंपनी के लाभ में अचानक आई तेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एस. ई. बी. आई. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अपने आप में गलत दृष्टिकोण है।उन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि कंपनी के लाभ में कोई असामान्य आय नहीं है।

जी.

5 के. एल. त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। (1984) 1 एस. सी. सी 43.

6 तारा चंद व्यास बनाम अध्यक्ष और अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अन्य। (1997) 4 एससीसी 565। 7 भारतीय स्टेट बैंक बनाम जाह डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। (2019) 6 एससीसी 787।

एच.

ए.

8.3 विज्ञापन जारी करने पर, श्री गग्गर ने हमें विज्ञापनों की वास्तविक पृष्ठभूमि दिखाई और कहा कि जनता को गुमराह करने या उसमें दिए गए बयानों पर निवेशकों को लुभाने के किसी भी इरादे का कोई संकेत नहीं है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष कि विज्ञापन विनियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, बोर्ड के समक्ष रखी गई सामग्री द्वारा प्रमाणित सही तथ्यों पर आधारित हैं।रिलायंस को मेसर्स विजय टेक्सटाइल में न्यायाधिकरण के फैसले पर रखा गया था।8

बी.

8.4 श्री गग्गर ने प्रस्तुत किया कि इस धारणा पर बोर्ड द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कि बिक्री कृत्रिम खरीद और बिक्री के माध्यम से की गई थी, गलत हैं।उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि पक्षों के बीच अनुमानित संबंध अस्तित्व में नहीं है और केवल काल्पनिक है। रिलायंस को राखी ट्रेडिंग 9 में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया था और

सी.

किशोर अजमेर 10.

डी.

8.5 एक अंतिम निवेदन इस आधार पर किया गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाएगा यदि किसी ऐसे मामले में जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता है जहां पक्ष के लिए प्रतिकूल सामग्री को एस. ई. बी. आई. द्वारा संज्ञान में लिया जाता है। इसके समर्थन में, मींगलास 11 के निर्णयों में इस न्यायालय के निर्णय,

ई.

बरेली इलेक्ट्रिसिटी 12 और स्वदेशी कॉटन मिल्स 13

पर भरोसा किया।

9. अपने प्रत्युत्तर में, श्री सिंह ने श्री गग्गर द्वारा उद्धृत मामलों को अलग किया है और यह स्थापित करने के लिए उदाहरणों का उल्लेख किया है कि गवाह से जिरह का कोई अधिकार नहीं है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के लिए जिरह का अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दोहराया कि अगर हर मामले में इस औपचारिकता का पालन करना है तो एस. ई. बी. आई. के कामकाज में बाधा आएगी।

एफ.

8 मेसर्स विजय टेक्सटाइल बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2011) एससीसी ऑनलाइन एसएटी

जी.

9 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम राखी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (2018) 13

एससीसी 753।

10 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम किशोर आर. अजमेरा (2016) 6 एससीसी 368। 11 मींगलास टी एस्टेट बनाम कामगार (1964) 2 एससीआर 165।

12 बरेली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बनाम कामगार और अन्य। (1971) 2 एससीसी 617। 13 स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 664।

ए.

10. निम्नलिखित मुद्दे विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

10.1 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 जेड के तहत उच्चतम न्यायालय में वैधानिक अपील का दायरा और दायरा क्या है?

10.2 क्या 07.04.2005 और 20.04.2005 दिनांकित विज्ञापन, विनियम 4 (1), (2) (k) और (r) सहपठित विनियम 3 (a), (b), (c), (d) का उल्लंघन करते हैं जो निवेशकों को गुमराह करने और धोखा देने के बराबर है?

बी.

10.3 क्या कंपनी ने शेयर की कीमतों और खातों में हेरफेर करके एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी) और (डी) और विनियम 4 (1), 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) का उल्लंघन किया है?

सी.

10.4 क्या किसी दस्तावेज़ के लेखक से जिरह करने का अधिकार है यदि एस. ई. बी. आई. उस दस्तावेज़ पर भरोसा करना चाहता है जो कंपनी के हित के खिलाफ है?

डी.

11. इससे पहले कि हम मुद्दों के आधार पर प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करें, जैसा कि ऊपर तैयार किया गया है, कुछ वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक है।अधिनियम की धारा 11 में एस. ई. बी. आई. के कार्यों की गणना की गई है और इसे प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने का अधिकार दिया गया है।धारा 11 बी एस. ई. बी. आई. को आवश्यक निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।धारा 30 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग

करते हुए एस. ई. बी. आई. ने पी. एफ. यू. टी. पी. विनियम बनाए, जिनमें से हम विनियम 3 (ए), (बी), (सी), (डी) और विनियम 4 (1), 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) से संबंधित हैं।

ई.

मुद्दा 1:प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अधिनियम की धारा 15 जेड के तहत उच्चतम न्यायालय में वैधानिक अपील का दायरा और दायरा क्या है?

एफ.

12. न्यायाधिकरण के निर्णयों पर विचार करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और अधिकार क्षेत्र अधिनियम की धारा 15Z में प्रदान किया गया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैः

15Z.Appeal सुप्रीम न्यायालय को।प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से साठ दिनों के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

जी.

एच.

बशर्ते कि उच्चतम न्यायालय, यदि यह संतुष्ट हो कि आवेदक को उक्त अवधि के भीतर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो इसे साठ दिनों से अधिक की अवधि के भीतर दायर करने की अनुमति दे सकता है।

वीडियोकॉन इंटरनेशनल 14 में इस न्यायालय को धारा 15 जेड पर विचार करने का अवसर मिला था। धारा में संशोधन पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

बी.

“38. .....अपील का अधिकार निरपेक्ष हो सकता है, यानी बिना किसी सीमा के।या, यह एक सीमित अधिकार हो सकता है।उपरोक्त स्थिति एस. ई. बी. आई. अधिनियम की असंशोधित और संशोधित धारा 15-जेड के अवलोकन से समझ में आती है। असंशोधित धारा 15-जेड के तहत, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय को अपीलीय उपचार, "ऐसे आदेश से उत्पन्न तथ्य या कानून के किसी भी प्रश्न पर" शब्दों द्वारा सीमित था।संशोधित धारा 15-जेड ने उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में

अपीलीय मंच में परिवर्तन करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील के दायरे को यह व्यक्त करते हुए सीमित कर दिया कि इस तरह के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के किसी भी प्रश्न पर उपचार का लाभ उठाया जा सकता है।".इसलिए यह स्पष्ट है कि अपील करने का अधिकार विभिन्न पैकेजों में उपलब्ध है और धारा 15-जेड में संशोधन ने एस. ई. बी. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई दूसरी अपील के दायरे को बदल दिया है।

सी.

डी.

ई.

13. यद्यपि न्यायालय ने कहा कि अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल कानून के प्रश्न का निर्धारण करने के लिए सीमित है, फिर भी सवाल अभी भी बना हुआ है कि कौन से मुद्दे कानून के प्रश्नों के रूप में योग्य हैं और कौन से मुद्दे नहीं।हम इसकी जांच करेंगे।

एफ.

14. 'पाठ्य' व्याख्या पर, 'कानून का प्रश्न' अभिव्यक्ति को ब्लैक लॉ डिक्शनरी में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

"1. कानून के अनुप्रयोग या व्याख्या से संबंधित एक मुद्दा जो न्यायाधीश द्वारा तय किया जाना है;

जी.

2. एक प्रश्न जिसका कानून ने स्वयं अधिकृत रूप से उत्तर दिया है, ताकि न्यायालय विवेक के मामले के रूप में इसका उत्तर न दे सके;

14 वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनामभारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (2015) 4 एस. सी. सी. 33.

एच.

ए.

3. किसी विशेष मुद्दे पर कानून क्या है, इस बारे में एक मुद्दा; एक ऐसा मुद्दा जिसमें पक्षकार बहस करते हैं, और न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि कानून का वास्तविक शासन क्या है।

4. एक मुद्दा जो, हालांकि यह एक तथ्यात्मक बिंदु को चालू कर सकता है, न्यायालय के लिए आरक्षित है और जूरी से बाहर है; एक ऐसा मुद्दा जो विशेष रूप से न्यायाधीश के प्रांत के भीतर है न कि जूरी "15

बी.

15. 'कानून का प्रश्न' अभिव्यक्ति के अर्थ के लिए लॉ डिक्शनरी का संदर्भ कानून और तथ्य के प्रश्नों के बीच सीमाएँ खींचने में कठिनाई को नजरअंदाज करना नहीं है।विषय के तहत, लचीले

सी.

कानून और तथ्य के बीच की सीमाएँ, एच. डब्ल्यू. आर. वेड ने टिप्पणी की है:"इस अध्याय की अधिकांश चर्चाएँ इस आधार पर आगे बढ़ती हैं कि कानून के प्रश्न और तथ्य के प्रश्न के बीच का अंतर स्वयं स्पष्ट है।लेकिन ऐसा नहीं है; सीमा अक्सर मायावी होती है।" 16

डी.

16. 'कानून का प्रश्न' जैसे वाक्यांश, खुली पाठ्य अभिव्यक्तियाँ हैं, जिनका उपयोग क़ानूनों में एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसे विधायिका का पांडित्यपूर्ण तरीके से पढ़ने का इरादा नहीं होता।जब अनुभागों के शब्द संकीर्ण और व्यापक व्याख्याओं की अनुमति देते हैं, तो अदालतों ने शब्दों को उनके संदर्भ में देखकर सही अर्थ खोजने की कला और तकनीक विकसित की है।भारतीय रिजर्व बैंक बनाम.

ई.

पीयरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य। 17, न्याय

ओ. चिन्नाप्पा रेड्डी ने कहा:

"33. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए।वे व्याख्या के आधार हैं।यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है।इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।दोनों ही महत्वपूर्ण हैं।वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल खाती है।एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था।इस ज्ञान के साथ, क़ानून को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश पढ़ा जाना चाहिए।

एफ.

जी.

15 ब्लैक लॉ डिक्शनरी, 10 वां संस्करण पी।1442.

16 एच. आर. डब्ल्यू. वेड और सी. एफ. फोर्सिथ, प्रशासनिक कानून, अध्याय 8 (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन, यूनाइटेड किंगडम, 11 वीं संस्करण, 2014)।

17 भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

ओआरएस। (1987) 1 एससीसी 424 ए

एच.

और शब्द से शब्द।यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना कद को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं।इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यह पूरे अधिनियम की योजना में फिट बैठता है। कानून के किसी भी हिस्से और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं समझा जा सकता है।क़ानूनों का अर्थ इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि हर शब्द का एक स्थान हो और सब कुछ अपने स्थान पर हो।

बी.

सी.

17. धारा 15Z के तहत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता

न्यायाधिकरण के आदेशों से उत्पन्न कानून के किसी भी प्रश्न पर विचार करें।

इसलिए अधिनियम की धारा 15 के, 15 एल, 15 एम, 15 टी, 15 यू और 15 वाई के तहत न्यायाधिकरण की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के 'संदर्भ' में देखा जाना चाहिए। धारा के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अपीलीय स्तर पर तथ्य के सभी प्रश्नों की फिर से जांच करना न्यायाधिकरण के कार्य में है।

डी.

15 अधिनियम का टी। क्लैरियंट 18 और राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी 19 में,

इस न्यायालय को न्यायाधिकरण की अधिकारिता की जांच करने और यह समझाने का अवसर मिला कि न्यायाधिकरण के पास व्यापक शक्तियां हैं।एक स्थायी निकाय होने के नाते, वास्तव में एक अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करने के अलावा, न्यायाधिकरण नियमित रूप से उसके तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और विनियमों की व्याख्या करता है और एक कानूनी व्यवस्था विकसित करता है, जिसे समय के साथ व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाता है।इस प्रक्रिया का लाभ और लाभ क्षेत्रीय कानूनों की निरंतरता और संरचनात्मक विकास है।

ई.

18. यह उपरोक्त संदर्भ में है कि सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 15 जेड के तहत अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरण के फैसले से किसी भी अपील पर विचार करते हुए अपने दृष्टिकोण में मापा जाएगा।कानूनों को विकसित करने और उनकी व्याख्या करने की यह स्वतंत्रता स्पष्टता और निरंतरता के लिए नियामक व्यवस्था के अधीन होने के लिए न्यायाधिकरणों की होनी चाहिए और इसी दृष्टिकोण के साथ सर्वोच्च न्यायालय अपने आदेशों से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्नों पर न्यायाधिकरणों के फैसले के खिलाफ अपीलों पर विचार करेगा।

एफ.

जी.

18 क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड और एन. आर. बनाम.भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2004)

8 एस. सी. सी. 524, पैरा 73,74

19 राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड बनामभारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (2017) 5

एससीसी 517, पैरा 9।

एच.

ए.

19. यह इसी संदर्भ में है कि यू. के. सर्वोच्च न्यायालय ने जोन्स बनाम प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण, 20 के मामले में कानून के प्रश्नों के अस्तित्व के आधार पर न्यायाधिकरणों के आदेशों के खिलाफ हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालयों के लिए कुछ सिद्धांत तैयार किए।न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"16 ... यह मुख्य रूप से न्यायाधिकरणों के लिए है, न कि अपीलीय न्यायालयों के लिए, इन मुद्दों (कानून और तथ्य) के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण विकसित करना, यह ध्यान में रखते हुए कि वे उन्हें निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से अच्छी तरह से उपयुक्त हैं।कानून और तथ्य के बीच विभाजन रेखा के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, ताकि पहले स्तर पर न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायाधिकरण की विशेषज्ञता का सर्वोत्तम प्रभाव के लिए उपयोग किया जा सके।एक अपील न्यायालय को मुद्दों को कानून के मुद्दों के रूप में वर्गीकृत करके इस क्षेत्र में बहुत आसानी से उद्यम नहीं करना चाहिए जो वास्तव में विशेषज्ञ अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण के लिए सबसे अच्छा छोड़ दिया जाता है।"

बी.

सी.

20. धारा 15 जेड के तहत अपील का दायरा इस प्रकार तैयार किया जा सकता हैः

इसके अंतर्गतः

डी.

20.1 उच्चतम न्यायालय अधिकारिता का प्रयोग तभी करेगा जब न्यायाधिकरण के निर्णय से विचार के लिए उत्पन्न होने वाले कानून का प्रश्न हो।कानून का प्रश्न तब उत्पन्न हो सकता है जब क़ानून के कानूनी प्रावधानों या कानून के सामान्य सिद्धांतों का गलत निर्माण होता है।ऐसे मामलों में, उच्चतम न्यायालय धारा 15 जेड की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कानून के किसी भी प्रश्न पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

ई.

20.2 हालांकि, कानून की हर व्याख्या धारा 15 जेड के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देने वाले कानून के सवाल के बराबर नहीं होगी। न्यायाधिकरण धारा 15 टी के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, तथ्य पर एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के अलावा, अधिनियम, नियमों और विनियमों की व्याख्या भी करता है और व्यवस्थित रूप से एक कानूनी व्यवस्था विकसित करता है।क्षेत्रीय कानूनों के संरचनात्मक विकास के लिए इन सिद्धांतों को लगातार लागू किया जाता है।विकसित होने की यह स्वतंत्रता और

एफ.

जी.

20 जोन्स बनाम प्रथम श्रेणी न्यायाधिकरण [2013] यूकेएससी 19.पैरा 16; रेजिना में अनुसरण किया गया (गोपनीयता)

अंतर्राष्ट्रीय) बनाम अन्वेषक शक्तियां न्यायाधिकरण [2019] यूकेएससी 22, पैरा 134; यह भी देखें,

पॉल क्रेग द्वारा प्रशासनिक कानून (8 वीं संस्करण। 2016 में पी।492 और एच. आर. डब्ल्यू. वेड एंड सी. एफ. फोर्सिथ, प्रशासनिक कानून, अध्याय 8 (ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रकाशन, यूनाइटेड किंगडम, 11 वीं संस्करण, 2014)।

एच.

561

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा

निगम लिमिटेड [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

स्पष्टता और निरंतरता के लिए विनियामक व्यवस्था के अधीन होने के लिए कानूनों की व्याख्या न्यायाधिकरण से संबंधित होनी चाहिए।ये नीतिगत और कार्यात्मक विचार हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय धारा 15 जेड के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय ध्यान में रखेगा।

बी.

21. अब हम धारा 15 जेड के तहत उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के दायरे और दायरे के संदर्भ में अन्य मुद्दों की जांच करेंगे, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

मुद्दा 2:क्या 07.04.2005,20.04.2005 दिनांकित विज्ञापन, विनियम 4 (1), (2) (k) और (r) सहपठित विनियम 3 (a), (b), (c), (d) का उल्लंघन करते हैं जो निवेशकों को गुमराह करने और धोखा देने के बराबर है?

सी.

22. इस मुद्दे को हमें लंबे समय तक रोके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे में शामिल तथ्य मामले के गुण-दोष से संबंधित हैं और इस तरह, कानून के प्रश्न के रूप में योग्य नहीं हैं।हालाँकि हम दोनों उदाहरणों का उल्लेख करेंगे क्योंकि श्री सी. यू. सिंह ने हमारे सामने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं।

डी.

23. 07.04.2005 के पहले विज्ञापन के अनुसार, SEBI द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि PFUTP विनियमों के विनियम 4 (2) (k) और 4 (r) का उल्लंघन करते हुए, कंपनी ने 07.04.2005 पर दुनिया भर में आउटबाउंड पैकेज टूर सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की।इन सेवाओं को भारत के 25 शहरों में संचालित करने का इरादा था और इनसे 25 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद थी। अपने पहले वर्ष में Rs.200 मिलियन के शुद्ध लाभ के साथ 1000 मिलियन।एस. ई. बी. आई. का आरोप है कि यह घोषणा निवेशकों को गुमराह करने के एकमात्र उद्देश्य से की गई थी।यात्रा सेवाओं को संभालने के लिए 'मेगा हॉलिडेज लिमिटेड' नामक एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए कंपनी और मेसर्स जेम टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा इस निष्कर्ष को उलट दिया गया है।न्यायाधिकरण ने मेसर्स जेम टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ कंपनी के लेनदेन का समर्थन करने वाले बैंक के बयान को भी नोट किया।

ई.

एफ.

24. हम इन तथ्यों का उल्लेख केवल यह इंगित करने के लिए कर रहे हैं कि न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर दस्तावेजों से प्राप्त अपने स्वयं के निष्कर्षों के आधार पर एस. ई. बी. आई. के निष्कर्षों को उलट दिया है।न्यायाधिकरण का निर्णय तथ्य-आधारित है और धारा 15 जेड के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए कानून के किसी भी प्रश्न को

जन्म नहीं देता है। इस कारण से, हम तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जो न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित होना चाहिए।

जी.

एच.

25. जहां तक 20.04.2005 की दूसरी घोषणा का संबंध है, यह 'मेगा फॉरेक्स ब्रांड' के शुभारंभ के साथ विदेशी मुद्रा में व्यवसाय शुरू करने की घोषणा करने के आरोप से संबंधित है। यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने गलत बयान दिए जैसे कि उसके विदेशी मुद्रा बाजार में बाजार हिस्सेदारी का 5-10% हड़पने की उम्मीद है, जो एक या दो साल की अवधि में 5-6 अरब डॉलर है।यहां फिर से, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि विदेशी मुद्रा से निपटने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन, जो कथित रूप से सितंबर 2005 में किया गया था, केवल एक संशोधित आवेदन था।कहा जाता है कि संशोधित आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के उनके मूल आवेदन पर प्रश्नों के उत्तर के रूप में किया गया था, जो वास्तव में 14.04.2005 पर किया गया था, जो घोषणा से पहले ही था।इसलिए न्यायाधिकरण की राय थी कि घोषणा काल्पनिक नहीं है, बल्कि घोषणा की तारीख से पहले उठाए गए विशिष्ट कदमों पर आधारित है, जो उक्त गतिविधि को विश्वास दिलाती है।

बी.

सी.

26. न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है, तथ्यात्मक होने के कारण, कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देता है, धारा 15Z के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता को लागू नहीं किया जा सकता है।इस कारण से, हम न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं और इस न्यायालय के लिए न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अवसर नहीं है।इस मुद्दे का जवाब अपीलार्थी के खिलाफ दिया जाता है।मुद्दा 3:क्या कंपनी ने शेयर की कीमतों और खातों में हेरफेर करके एस. ई. बी. आई. (पी. एफ. यू. टी. पी.) विनियम, 2003 के विनियम 3 (ए), (बी), (सी) और (डी) और विनियम 4 (1), 4 (2) (के) और 4 (2) (आर) का उल्लंघन किया है?

डी.

ई.

27. अगला प्रस्तुतिकरण इस आरोप से संबंधित है कि निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए लुभाने के लिए बढ़े हुए लाभ दिखाने के लिए वर्ष 2004-05 के लिए खातों में हेरफेर किया जाता है।SEBI ने उस योजना का पता लगाने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया है जिसके द्वारा कंपनी के शेयरों को बाजार में खरीदा और बेचा गया था।यह आरोप लगाया गया था कि कुछ संस्थाओं द्वारा भौतिक रूप में 2 करोड़ से अधिक शेयर 'ऑफ-मार्केट' सौदों में खरीदे गए थे और फिर उन शेयरों को बाद के 'ऑफ-मार्केट' सौदों में कंपनी से जुड़ी कुछ अन्य बाहरी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया था।इन आरोपों के कारण इस तरह के 'बाजार से बाहर' लेनदेन और कंपनी के साथ 'बाहरी अधिकारों' के जुड़ाव के प्रमाण की आवश्यकता थी।28. न्यायाधिकरण अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और बोर्ड द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपर्याप्त थे।तथ्यों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित निष्कर्ष दिएः

एफ.

जी.

एच.

563

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा

निगम लिमिटेड [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे।] ए.

ए.

“अपीलार्थी कंपनी और उन किसी भी व्यापारी के बीच किसी भी निश्चित स्थायी संबंध के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, जिन्होंने कथित रूप से मात्रा उत्पन्न करने और इस तरह इसकी कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से अपीलार्थी कंपनी के स्क्रिप में व्यापार किया था।इसलिए, अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों में हेरफेर व्यापार का आरोप विफल हो जाता है।

बी.

....

लेकिन यह कहना एक और बात है कि एक कंपनी ने उस विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने खातों में हेरफेर किया है क्योंकि कई कारण हो सकते हैं कि एक बेईमान प्रबंधन अपने खातों में बढ़े हुए वित्तीय परिणाम क्यों दिखाना चाहता है।वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि हेरफेर वर्ष के लिए अपीलार्थी के वार्षिक खाते हैं, यदि कोई हो, तो निवेशकों को कंपनी का शेयर खरीदने के लिए लुभाने के उद्देश्य से किया गया था।किसी निश्चित साक्ष्य की कमी को देखते हुए, अपीलार्थी के खिलाफ यह आरोप भी विफल हो जाता है।”

सी.

डी.

29. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से प्राप्त न्यायाधिकरण के निष्कर्षों पर आधारित हैं।न्यायाधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अधिनियम की धारा 15 जेड के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप की गारंटी देने वाले कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देते हैं। इस मुद्दे का जवाब अपीलार्थी के खिलाफ दिया जाता है।

ई.

मुद्दा 4:क्या किसी पत्र के लेखक से जिरह करने का अधिकार है यदि एस. ई. बी. आई. उस पत्र पर भरोसा करना चाहता है, जो कंपनी के लिए प्रतिकूल है?30. बोर्ड ने अपनी जांच में कंपनी के स्टॉक ब्रोकर मेसर्स डी. पी. एस. शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक से एक पत्र प्राप्त किया है।यह पत्र कंपनी द्वारा अपने बचाव में लिए गए रुख का खंडन करता है।यह निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में हुआ।जब कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में स्क्रिप की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेन की व्याख्या करने के लिए कहा गया, तो कंपनी ने यह कहते हुए शरण ली कि लेनदेन स्टॉक ब्रोकर कंपनी की विशेष जानकारी में थे।बोर्ड ने अपनी जांच में एक स्टॉक ब्रोकर से एक पत्र प्राप्त किया जिसमें कहा गया था कि उनके दो निदेशकों, श्री प्रतीक शाह और एक श्री सुजल शाह ने स्टॉक ब्रोकर कंपनी के तीसरे निदेशक श्री दिनेश मसालिया की जानकारी के बिना नकली प्रस्तावों का उपयोग करके चालू खाता खोलकर कथित स्क्रिप में लेनदेन को संभाला था।इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि लेन-देन

एफ.

जी.

एच.

काल्पनिक था।बचाव में, कंपनी ने उक्त श्री दिनेश मसालिया से जिरह करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोई अनुमति नहीं दी गई।एस. ई. बी. आई. ने आगे बढ़कर 07.01.2008 पर अपने अंतिम आदेश दिए।यह इस संदर्भ में है कि कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपना निवेदन दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया क्योंकि प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बी.

31. इस बात में कोई विवाद नहीं है कि श्री दिनेश मसालिया से प्राप्त पत्र के बारे में कंपनी और निदेशकों को सूचित किया गया था।कारण दर्शाओ नोटिस में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।कारण दर्शाओ नोटिस पर कंपनी का जवाब श्री दिनेश मसालिया द्वारा लिए गए रुख के संबंध में कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का प्रमाण है।इस हद तक, कंपनी को इस अर्थ में अवसर दिया गया था कि एस. ई. बी. आई. एक दस्तावेज पर भरोसा कर रहा था जिसका खुलासा कंपनी को किया गया था।एकमात्र सवाल यह है कि क्या पत्र के लेखक से जिरह करने का अधिकार है, जबकि एस. ई. बी. आई. अपनी नियामक भूमिका निभा रहा है और पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के विनियम 3 और 4 के तहत हेरफेर के आरोप पर निर्णय ले रहा है।32. बोर्ड की ओर से बहस करते हुए श्री सी. यू. सिंह ने एस. ई. बी. आई. द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जिरह करने के किसी भी अधिकार से इनकार किया है।अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने पहले बताए गए मामलों का उल्लेख किया है।उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कंपनी के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया था उसे सौंपने का अवसर दिया गया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने अपना जवाब दिया था।उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 21 और ए. एस. मोटर्स 22 में इस न्यायालय के फैसलों का भी उल्लेख किया ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि न्यायालय केवल एक खाली औपचारिकता के रूप में गवाहों की जांच पर जोर नहीं देगी।

सी.

डी.

ई.

33. दूसरी ओर, श्री गग्गर ने कहा कि इस आधार पर कि यदि जिरह का अवसर नहीं दिया जाता है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाएगा।

एफ.

34. पक्षकारों की सुनवाई के तुरंत बाद, और 17.02.2022 पर फैसला सुरक्षित रखने के तुरंत बाद, अगले ही दिन, इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने टी. तकानो 23 में अपना फैसला सुनाया।यह मामला उसी अधिनियम के तहत उत्पन्न हुई कार्यवाही से संबंधित है और वास्तव में पी. एफ. यू. टी. पी. विनियमों के तहत अपीलार्थियों द्वारा अपनाई गई धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोपों से संबंधित है।इस न्यायालय ने विचार किया

जी.

21 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम मानसून अली खान (2000) 7 एस. सी. सी. 529। 22 ए. एस. मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ (2013) 10 एस. सी. सी. 114।

23 टी. ताकानो बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 210 ए

एच.

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के लिए एस. ई. बी. आई. के वैधानिक दायित्व के बारे में मुद्दा।इस विषय पर पूरे मामले के कानून की समीक्षा करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत तैयार किए:

"62. निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) अपीलार्थी को अपने खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित सामग्री का खुलासा करने का अधिकार है।कार्यवाही के चरण के आधार पर नटवर सिंह (ऊपर) में प्रासंगिक जानकारी के प्रकटीकरण के सामान्य नियम से विचलन किया गया था।यह उन सामग्रियों का खुलासा करने के लिए पर्याप्त है जिन पर भरोसा किया गया है कि क्या यह जांच शुरू करने या न करने का निर्णय लेने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस जारी करने के उद्देश्य से है।तथापि, कार्यवाही के लिए प्रासंगिक सभी सूचनाओं का निर्णय कार्यवाही में खुलासा किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

((ii) बोर्ड विनियम 10 के तहत विनियम 9 के तहत जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार करता है, और यदि वह आरोपों से संतुष्ट है, तो वह विनियम 11 और 12 के तहत दंडात्मक उपाय जारी कर सकता है।इसलिए, जांच रिपोर्ट केवल एक आंतरिक दस्तावेज नहीं है। किसी भी स्थिति में, विनियम 10 की भाषा यह स्पष्ट करती है कि बोर्ड विनियम 9 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद विनियमों के उल्लंघन के बारे में एक राय बनाता है;

डी.

ई.

(iii) सामग्री का खुलासा निर्णय में त्रुटि को कम करने, कार्यवाही की निष्पक्षता की रक्षा करने और जांच निकायों और न्यायिक संस्थानों की पारदर्शिता बढ़ाने के तीन उद्देश्यों को पूरा करता है।

एफ.

(iv) सामग्री के दमन के संस्थागत प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना परिणाम के विपरीत प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है।करुणाकर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्देश कि प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने से सजा का आदेश केवल तभी अमान्य हो

जाएगा जब पीड़ित व्यक्ति यह साबित करने में सक्षम हो कि खुलासा न करने के कारण उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, परिणाम और प्रक्रिया दोनों पर आधारित है।

जी.

(v) प्रकटीकरण का अधिकार निरपेक्ष नहीं है।जानकारी का प्रकटीकरण अन्य तृतीय-पक्ष हितों को प्रभावित कर सकता है और

एच.

प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली।प्रत्यर्थी को प्रथम दृष्टया यह स्थापित करना चाहिए कि रिपोर्ट का खुलासा तीसरे पक्ष के अधिकारों और प्रतिभूति बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगा।इसके बाद यह साबित करने की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर डाल दी जाती है कि उसके मामले का उचित बचाव करने के लिए जानकारी आवश्यक है; और

बी.

(vi) जहां जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में तीसरे पक्ष की जानकारी या प्रतिभूति बाजार पर गोपनीय जानकारी शामिल है, तो प्रत्यर्थी उस कारण से रिपोर्ट के किसी भी हिस्से का खुलासा करने के खिलाफ विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता है।उत्तरदाता रिपोर्ट के उन वर्गों के प्रकटीकरण को रोक सकते हैं जो प्रतिभूति बाजार के स्थिर और व्यवस्थित कामकाज पर आधारित तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी और रणनीतिक जानकारी से संबंधित हैं।"

सी.

35. उपरोक्त संदर्भित मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, प्रासंगिक सामग्री के प्रकटीकरण का अधिकार है।हालाँकि, ऐसा अधिकार निरपेक्ष नहीं है और उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 62 (v) के तहत बताए गए अन्य विचारों के अधीन है।इस निर्णय में, जिरह के अधिकार के मुद्दे पर कोई विशिष्ट चर्चा नहीं है, लेकिन उसमें निर्धारित व्यापक सिद्धांत न्यायाधिकरण के पालन के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन हैं।इस विषय पर हमें और विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है।

डी.

ई.

36. वर्तमान मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, हमने देखा है कि न्यायाधिकरण (ए) दिनांक (आई. डी. 1) और (आई. डी. 2) के भ्रामक विज्ञापन जारी करने से संबंधित विनियमन 4 के तहत आरोपों के साथ-साथ (बी) निवेशकों को लुभाने के लिए स्क्रिप की कीमतों और मुनाफे में हेरफेर से संबंधित आरोपों से संबंधित स्वतंत्र तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचा है।

जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि आरोपों को साबित किया जा सकता है।चूंकि हम न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रतिपरीक्षा के लिए कंपनी का दावा महत्वहीन हो जाएगा।यह प्रश्न स्वयं को केवल एक अकादमिक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत करता है।

एफ.

जी.

37. हमारी यह भी राय है कि न्यायाधिकरण के लिए एक अलंघनीय सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि सभी मामलों में प्रतिपरीक्षा का अधिकार है। वास्तव में, अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर न्यायाधिकरण के निष्कर्ष के लिए इस तरह के निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, हम न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को इस हद तक अपास्त करनाते हुए इसके ए को बरकरार रखते हैं।

एच.

567

भारत का सुरक्षा और विनिमय बोर्ड बनाम मेगा

अन्य सभी आधारों पर निगम लिमिटेड [पामिदिगंथम श्री नरसिम्हा, जे.] का निर्णय।हम जिरह के अधिकार से संबंधित कानून के प्रश्न को भी खुला छोड़ देंगे और इस न्यायालय द्वारा एक उपयुक्त मामले में निर्णय लिया जाएगा।

38. ऊपर बताए गए कारणों से, जबकि हम 2008 की अपील संख्या 60 में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ 2009 की दीवानी अपील संख्या 2104 को अपास्त करनाते हैं, न्यायाधिकरण की सामान्य टिप्पणियों को कि जिरह का अधिकार है, इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।39. दल अपना खर्च स्वयं वहन करें।

बी.

देविका गुजराल

याचिका खारिज कर दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.